[illegible] Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर [illegible] मुकाम

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा दावा नं. 49 सन 2001

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-3-2001	आज पर दावा श्री श्योपत राम [illegible] वकील ने पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस प्रतिवादीगण को तलबी का जारी दिनांक 29-3-2001 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु0) झुंझुनू	
29-3-2001	आज श्री कलक्टर साहब की मीटिंग होने से कार्य कोई दिगर नहीं हो सका। पत्रावली आइंदा दिनांक 19-4-2001 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु0) झुंझुनू	
19-4-2001	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी 1 से 10 की ओर [illegible] उपस्थित। तथा प्रतिवादी 9, 10 के [illegible] प्रतिवादी 1 से 8 की ओर से [illegible] वकालतनामा पेश किया [illegible] जवाब [illegible] दिनांक 17-5-2001 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु0) झुंझुनू	
17-5-2001	वकील पक्षकारान उपस्थित। [illegible] वकालतनामा पेश [illegible] जवाब वास्ते पेश दिनांक 1-6-2001 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु0) झुंझुनू	
1-6-2001	पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रतिवादी 2 से 8 की ओर से वकालतनामा [illegible] पेश किया [illegible] वकालतनामा [illegible] आइंदा [illegible] दिनांक 5-7-2001 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु0)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13-10-23	आज मय पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं० 2, 3, 4, 5 व 10 की ओर से श्रीमन्दीप मान एडवो० ने वकालातनामा पेश किया तथा कुल तीन किता दस्तावेजात पेश किया वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे अवगत करवाया कि वादी की मृत्यु हुये काफी वर्ष हो गये है तथा प्रतिवादी नं० 1, 8, 9 का मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी पेश की है। जिसमे प्रतिवादी नं० 1 की मृत्यु दिनांक 31/10/2010 को प्रतिवादी नं० 8 की मृत्यु दिनांक 1/12/2021 को व प्रतिवादी नं० 9 की मृत्यु दिनांक 28/7/2011 को हो चुकी है उक्त दावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी खारीज होने पर इस न्यायालय मे दर्ज हुआ उक्त दावा दिनांक 10/8/2022 को इस न्यायालय मे दर्ज हुआ था। अतः आज तक वादी व प्रतिवादीगण के मरे हुये की कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है तथा निगरानी के आदेश मे भी दावा के वादी की मृत्यु का हवाला आया है तथा वादी के अधिवक्ता को निगरानी के आदेश की जानकारी रही है इस कारन मरे हुये वादी एव प्रतिवादी के खिलाफ दावा नहीं चल सकता कायम मुकाम की कार्यवाही समय पर नहीं होने से दावा एटोमेटिक एबेट होने के कारन दावा अबेट होने से दावा खारीज किया जाता है पत्रावली नक्कल से नंम्बर होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़